न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 65/2016 दिनांक : 07.11.2016

1. मोहनलाल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– अपीलांट

बनाम्

1. श्योकरण
2. देवाराम
3. पतराम

} पि0 बुधराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

4. निराणी देवी पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
5. डुंगरराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेंट

7. अधिशाषी अभियंता सर्वे एवं अन्वेषण खण्ड प्रथम इ.गा.न.प. रावतसर।
8. पूर्णराम
9. रतीराम
10. रामकुमार

} पि0 गोपालराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

–तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 487 दिनांक 19.08.2011 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय **दिनांकः– 13.12.2017**

हरीतिमा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है:–

यह कि अपीलाधीन इंतकाल सं. 487 दिनांक 19.08.2011 रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रतिलिपि इंतकाल सं. 487 सलंग्न अपील मिमो है।

यह कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 151 की कुल 7.685 है0 में निराणी देवी पत्नी रूघाराम, डुंगरराम पुत्र रूघाराम जाट की ब.हि.ब. व खाता संख्या 197 में 7.857 है0 में बुधराम पुत्र उमाराम 222 हिस्सा श्योकरण, देवाराम, पतराम पि. बुधराम की 400 हिस्सा व खाता संख्या 167 की 11.850 है0 भूमि में पूर्णराम का 1/8 हिस्सा रतीराम का 1/8 व मोहनलाल 3/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। ढाणी रायकान की कृषि भूमि में से देवासर माईनर निकली जिसमें खसरा नंबर 705 की 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी। पूर्व में उपरोक्त कृषि भूमि स्युंक्त खाता की थी बाद में खाता विभाजन हो गया। खाता विभाजन में भूमि अवाप्ति के संशोधित आदेश जारी किये गये जिसके अनुसार उक्त खसरे की भूमि का मुआवजा के भुगतान करने के आदेश दिए गये। भूमि ढाणी रायकान की खसरा नंबर 705/1 की 2 बीघा 7 बिस्वा बुधराम पुत्र उमाराम, श्योकरण, देवाराम पतराम पुत्र बुधराम जाट की ब.हि.ब. से अवाप्त की गई व खसरा नंबर 705/3 की 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि निराणी पत्नी रूघाराम व डुंगरराम पुत्र रूघाराम जाट सिरंगसर की अवाप्त की गई थी तथा रेस्पो. ने मुआवजा भी प्राप्त कर लिया। ढाणी रायकान के खसरा नंबर 519, 520, 705/1, 706, 707/1 की कुल 13.064 है0 भूमि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 7 ता 9 के हक व हिस्से में से खसरा नंबर 705/2 की 1.214 है0 भूमि देवासर माईनर में अवाप्त हो गई व उपरोक्त भूमि में रेस्पो. सं. 1 ता 5 के हक व हिस्से में से कम की जानी चाहिए थी क्योंकि देवासर माईनर में रेस्पो. सं. 1 ता 5 की भूमि अवाप्त की गई थी व इंतकाल संख्या 487 में खसरा नंबर 705/2 की 1.214 है0 भूमि गलत रूप से अपीलांट की कम की गई है। उपरोक्त भूमि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 7 ता 9 के कब्जा काश्त में है व भूमि अवाप्ति अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 05.04.2005 में स्पष्ट आदेश है कि उपरोक्त भूमि रेस्पो. के खाता में से अवाप्त होगी। उसके वावजुद भी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 7 ता 9 की भूमि मनमाने तरीके से अवाप्त कर ली एवं भूमि कम कर दी गई जो नियम विरूद्ध व विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरित है। इसलिए अपीलाधीन इंतकाल 487 दिनांक 19.08.2011 ढाणी रायकान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसील नोहर खारिज योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने से हुई। पूर्व में जानकारी नही थी जानकारी होते ही बिना देरी के यह अपील प्रस्तुत कर दी जो अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 487 दिनांक 19.08.2011 अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन इंतकाल 487 दिनांक 19.08.2011 गलत तरीके से दर्ज कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की भूमि में से देवासर माईनर निकला था। उक्त माईनर में कुल 4.16 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी बाद में खाता विभाजन होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया था जिसके मुताबिक बुधराम आदि व निराणी आदि रेस्पोडेन्ट के खाते में से खसरा नम्बर 705/1 की 2.07 बिस्वा व खसरा नम्बर 705/3 की 2.09 बिस्वा भूमि कुल 4.16 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी। जिसका मुआवजा भी रेस्पोडेन्ट ने ले लिया व भूमि भी उन्ही के खाते से कम होनी थी लेकिन तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थी को बिना सुने संशोधित आदेश की अनदेखी करते हुये अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट 7 ता 9 के हक व हिस्से में से खसरा नम्बर 705/2 की 1.214 हेक्टयर भूमि देवासर माईनर में अवाप्त हो गई जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के हिस्से में से कम होनी थी परन्तु गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर अपीलान्ट की भूमि कम कर दी। पटवारी रिपोर्ट संशोधित भूमि अवाप्ति आदेश व चालु जमाबन्दी प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट के हिस्से में से भूमि कम की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल सं. 487 दिनांक 19.08.2011 ढाणी रायकान को अपास्त कर सही इंतकाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिये जावें।

रेस्पो. की ओर से कोई उपस्थित नही। हमने एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। संशोधित आवंटन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ढाणी रायकान के ख.न. 705/1 की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि बुधराम बगैरह व खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

705/3 की 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि निराणीदेवी बगैरह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की ही अवाप्त हुई है। जबकि प्रस्तुत नामान्तरकरण में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 10 की भूमि 1.214 हैक्टयर भूमि कम कर दी गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 19.08.2011 खारिज किया जाता है पत्रावली तहसीलदार को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि मुताबिक संशोधित भूमि अवाप्ति आदेशानुसारे पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. द्युतिमा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर